न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 87/24

वादी :–
1–गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत
निवासी लीलियां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1–कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह
2–भगवानसिंह पुत्र कानसिंह
3–जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह
4–केशरसिंह पुत्र कानसिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण लीलियां तहसीलदार रियांबड़ी
5–पप्पूदेवी पत्नि उम्मेदराम जाति जाट निवासी लीलियां
6–तहसीलदार रियांबड़ी
7–पटवारी हल्का लीलियां तह.रियांबड़ी।

वकील वादी:– श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादीगण :– श्री घनश्याम खालिया

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 08/04/24

वादी निम्न वाद प्रस्तुत करता है :–

1–यह है कि ग्राम लीलीयां के खसरा नंबर 902 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा,खसरा नबर 903 रकबा 10बीघा 14 बिस्वा,खसरा नंबर 718 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 719 रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी कानसिंह,दुर्गसिंह,अचलसिंह पिता रामसिंह कोम राजपूत के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें नामान्तकरण संख्या 1845 दिनांक 5.8.2007 के द्वारा कानसिंह फौत के स्थान पर भगवानसिंह,केशरसिंह,जगदीशसिंह पिता कानसिंह प्रेमकंवर बेवार कानसिंह के नाम दर्ज हुई। जो खतौनी संवत् 2055 से 2058 से प्रमाणित है।

2–यह है कि पुराने खसरा नंबर 902 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा,खसरा नबर 903 रकबा 10बीघा 14 बिस्वा,खसरा नंबर 718 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नंबर 719 रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा के नये सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 1485 रकबा 12.82 हैक्टर,खसरा नंबर 1850 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नंबर 1851 रकबा 2.09 हैक्टर कायम किये गये। मिलान क्षैत्रफल संलग्न है।

3–यह है कि खतौनी संवत् 2063–66 में कानसिंह के फौत होने से उनके स्थान पर उनके उतराधिकारीगण भगवानसिंह,केशरसिंह,जगदीशसिंह पिता कानसिंह व प्रेमकंवर बेवा कानसिंह के नाम दर्ज हुआ। खतौनी नकल साथ में पेश है।

4–यह है कि खतौनी संवत् 2066–69 में दुर्गसिंह पुत्र रामसिंह के नाऔलाद फोत होने से उनके स्थान पर उनके सगे भाई रामसिंह व कानसिंह जी के वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 14.12.2010 के द्वारा फूलकंवर पुत्री रामसिंह,उगमकंवर, उचबकंवर पुत्रीयां रामसिंह,अचलसिंह पुत्र रामसिंह,प्रेमकंवर पत्नी कानसिंह,भगवानसिंह केशरसिंह,जगदीशसिंह पिता कानसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। व प्रेमकंवर बेवा

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

कानसिंह के फौत होने से उनके स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1071दिनांक 3.07.2015 के द्वारा उनके वारिसान भगवानसिंह,केशरसिंह,जगदीशसिंह पिता कानसिंह के नाम दर्ज हुआ।

5–यह है कि फूलकंवर पुत्री रामकंवर,उगमकंवर,उचबकंवर पुत्रीया रामसिंह ने अपना हक त्याग कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 2454 दिनांक 31.01.2024 को द्वारा भरा गया। खतौनी नकल संवत् 2073–76 साथ में पेश है।

6–यह है कि खातेदार भगवानसिंह ने अपने हिस्से में सें 4061/37716 वां भाग का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 5 पप्पूदेवी के हक में करवा दियाज्ञ। जिसका नामान्तकरण संख्या 2350 दिनांक 19.7.2023 को दर्ज किया गया।

7–यह है कि इस प्रकार विवादित भूमि के मूल खातेदार कानसिंह,दुर्गसिह,अचलसिंह के पिता रामसिंह थे। जिनमें सें दुर्गसिंह नाऔलाद फोत होने से कानसिंह व दुर्गसिंह के वारिसान बराबर–बराबर 1/2–1/2 भाग के हकदार हो गये। परंतु राज्य सरकार के आदेश से 2019 में जब सेग्रीगेशन हुआ उस समय हिस्साकसी गलत रूप से कर दी । जिससे पक्षकारो के हिस्से राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गये। जिसकी शुद्वि करवाने की आवश्यकता है।

8–यह है कि कानसिंह के उतराधिकारी वर्तमान में खातेदारः–1.केशरसिंह पुत्र कानसिंह, 2.जगदीशसिंह 3. भंगवानसिंह है। जिनका खसरा नंबर 1850 व 1851 में केशरसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह का 1/6 भाग, व भगवानसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग दर्ज किया जावे व अचलसिंह जी उतराधिकारी वर्तमान खातेदारः– कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग व गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

9–यह है कि इसी प्रकार खसरा नंबर 3659/1485 रकबा 7.74 हैक्टर में अचलसिंह के वारिसान का 1/2 भाग व कानसिंह के वारिसान का 1/2 भाग दर्ज किया जाना चाहिए था परंतु 2019 में हुई हिसाकसी में हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। उसके बाद भगवानसिंह ने अपने हिस्से में सें 0.833 हैक्टर भूमि पप्पूदेवी को बेचान कर दी। जिसका नामा0दर्ज हो गया। इस प्रकार अशुद्वि होने से अशुद्वि कालान्तर से चली आ रही है। जिसकी शुद्वि इस प्रकार की जावें :

केशरसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,भगवानसिंह पुत्र कानसिंह 4567/77400 भाग, पप्पूदेवी पत्नी उम्मेदराम 8333/77400भाग,कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग,गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग के अनुसार शुद्वि की जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

10–यह है कि उपर बताये अनुसार ही पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काश्त व काबिज चले आ रहे है। जिसके बाबत पक्षकारो में किसी प्रकार का कोई विवाद नहींहै। व शांतिपूर्वक काश्त व काबिज है। इसलिए हिस्सा कसी में उपर बताये पैरा नंबर 8 व 9 में बताये अनुसार शुद्वि की जाने की आवश्यकता है। इसलिए वादी यह रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश कर रहा है।

11–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखत तरीके से सादिर फरमायी जावें।

ए.मौजा लीलियां के खसरा नंबर 1850 व 1851 कुल रकबा 2.10 हैक्टर में केशरसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह का 1/6 भाग, व भगवानसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग दर्ज किया जावे व अचलसिंह जी उतराधिकारी वर्तमान खातेदारः– कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग व गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–जालौर

बी–मौजा लीलियां के खसरा नंबर 3659/1485 रकबा 7.74 हैक्टर में केशरसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,भगवानसिंह पुत्र कानसिंह 4567/77400 भाग, पप्पूदेवी पत्नी उम्मेदराम 8333/77400भाग,कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग,गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

सी–यह है कि दीगर दादरसी मुफिद वादी हो। अतः फरमायी जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मय वकील के हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई। वकील पक्षकारान ने बताया गया कि पक्षकारान के पूर्वजो के नाम से चली आ रही है। पक्षकारान के सेटलमेंट में हिस्सा कसी गलत रूप से कर दी गई। जिससे पक्षकारो के हिस्से राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो गये। जिसकी शुद्दि करवाने की आवश्यकता है। इसलिए वादपत्र के पैरा संख्या 8 व 9 में बताये अनुसार राजस्वरेकार्ड को सही हिस्सा कसी कर रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध नया व पुराना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि पक्षकारान के हिस्साकसी में गलत रूप से दर्ज कर दी गई। है। भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। भगवानसिंह ने अपने हिस्से में सें 0.8333 हैक्टर भूमि पपूदेवी को बेचान कर दी गइ। जिसका नामान्तकरण दर्ज हो गया। पक्षकारान ने हिस्साकसी की शुद्दि बाबत सहमत है और अपना राजीनामा भी पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के नाम खातेदारी की घोषणा निम्न प्रकार से की जाकर इस आशय की डिकी दी जाती है।

ए.मौजा लीलियां के खसरा नंबर 1850 व 1851 कुल रकबा 2.10 हैक्टर में केशरसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह का 1/6 भाग, व भगवानसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग दर्ज किया जावे व अचलसिंह जी उतराधिकारी वर्तमान खातेदारः– कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग व गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

बी–मौजा लीलियां के खसरा नंबर 3659/1485 रकबा 7.74 हैक्टर में केशरसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,जगदीशसिंह पुत्र कानसिंह 1/6 भाग,भगवानसिंह पुत्र कानसिंह 4567/77400 भाग, पप्पूदेवी पत्नी उम्मेदराम 8333/77400भाग,कल्याणसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग,गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह 1/4 भाग दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार पक्षकारो के नाम खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर